P-1 R.M.M. Law College - Saharsa

Manvendra Mandal, Part time lecturer — Subject - Contract - 1, Part - 1

संविदा के प्रकार (Kinds of Contract)

आंग्ल विधि के अन्तर्गत संविदाएँ मुख्यतया दो प्रकार की होती है। प्रथम - अभिलेख द्वारा की गई संविदा (Contract of speciality) द्वितीय - (Simple Contract) परन्तु भारतीय विधि में संविदाएँ निम्नलिखित प्रकार की होती है -

(1) प्रत्यक्ष संविदा (Express Contract)
(2) अप्रत्यक्ष संविदा (Implied Contract)
(3) प्रलक्षित संविदा (Constructive Contract)
(4) अप्रवर्तनीय संविदा (Unenforceable Contract)
(5) शून्य संविदा (Void Contract)
(6) आरम्भतः शून्य संविदा (Contract void Ab initio)
(7) शून्यकरणीय संविदा (Voidable Contract)
(8) अवैध संविदा (Illegal Contract)
(9) निष्पादित संविदा (Executed Contract)
(10) निष्पाद्य संविदा (Executory Contract)
(11) एक पक्षीय या द्विपक्षीय संविदा (Unilateral or Bilateral Contract)
(12) समाश्रित संविदा (Contingent Contract)
(13) बाजीयुक्त संविदा (Wagering Contract)
(14) Quasi Contract (संविदा-कल्प)

(1) प्रत्यक्ष संविदा (Express Contract) → जब संविदा की शर्तें लिखित या मौखिक होती है या जिसे स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया गया हो तो उसे प्रत्यक्ष संविदा कहते है।

(2) अप्रत्यक्ष या विवक्षित संविदा (Implied Contract) - जब संविदा की शर्तें शब्दो अपितु पक्षकारो के आचरण से होती है, उसे अप्रत्यक्ष संविदा कहते है। जैसे कोई व्यक्ति टैक्सी या बस पर बैठता है तो अप्रत्यक्ष रूप से किराया देना स्वीकार करता है।

(3) प्रलक्षित संविदा (Constructive Contract) - प्रलक्षित संविदा से तात्पर्य ऐसी संविदा से है जहाँ पक्षकारो का आशय संविदा न करना हो, लेकिन विधि के द्वारा संविदा

Scanned with CamScanner

Pg-2 संविदा के प्रकार (kinds of contract)

उन पर आरोपित हो जाय, जिसके अन्तर्गत पक्षकार उसी प्रकार दायित्वाधीन होते है जैसे संविदा के अन्तर्गत होते है, उसे प्रलक्षित संविदा कहते है। ऐसी संविदा का सृजन प्रस्थापना, प्रतिग्रहण, पक्षकारो की स्वतंत्र सहमति इत्यादि के आधार पर नही किया जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के अन्तर्गत विधि द्वारा पक्षकारो के मध्य संविदा मान ली जाती है। जैसे खोयी हुई वस्तु को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व होता है कि वह उसके वास्तविक स्वामी को उसी प्रकार लौटाये जैसे की वस्तु संविदा के अन्तर्गत दी गई हो।

(4) अप्रवर्तनीय संविदा (unenforceable contract)- जब कोई मान्य संविदा कुछ तकनीकी त्रुटियों के कारण लागू नहीं करायी जा सकती है तथा पक्षकार उसके आधार पर वाद भी प्रस्तुत नहीं कर सकता, तो उसे unenforceable contract कहते है, जैसे संलेख या वचन पत्र पर उचित मूल्य से कम का टिकट लगाना।

(5) शून्य संविदा (void contract)- विधि द्वारा प्रर्वतनीय करार ही संविदा होती है। यदि कोई करार विधि द्वारा प्रर्वतनीय नही है तो वह शून्य संविदा होगी। संविदा अधिनियम की धारा 2(ज) मे इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है- "शुन्य संविदा वह है जिसका विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना समाप्त हो जाता है।" परिभाषा से स्पष्ट होता है कि जब तक इसका प्रर्वतनीय होना समाप्त नहीं होता है, तब तक ऐसी संविदा मान्य रहती है परन्तु ज्योंहि इसका प्रवर्तनीय होना समाप्त हो जाता है उस समय संविदा शुन्य हो जाती है। ऐसी संविदा धारा 56 में उपबन्धित है। इसके अतिरिक्त धारा 36 में भी उपबन्धित है कि यदि कोई करार अनिश्चित घटना पर आधारित है, तो उस घटना के असंभव हो जाने पर करार शुन्य होता है।

Scanned with CamScanner

2-3 संविदा के प्रकार (kinds of contract)

(6) आरम्भतः शून्य संविदा (contract void ab initio) — यदि कोई संविदा आरम्भ से ही शून्य है तो आरम्भतः शून्य संविदा कहते हैं। जैसे- अवयस्क के द्वारा की गई संविदा करार की अवस्था से नहीं गुजरती।

(7) शून्यकरणीय संविदा (voidable contract) — संविदा अधिनियम की धारा 2 (झ) के अनुसार - 'कोई करार जो कि उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर प्रवर्तनीय है किन्तु दूसरे पक्षकारों के विकल्प पर परिवर्तनीय नहीं है, शून्यकरणीय संविदा है। परिभाषा से स्पष्ट है कि शून्यकरणीय संविदा एक ऐसी दोष अथवा छिद्रयुक्त संविदा होती है जिसका लाभ यदि एक पक्षकार चाहे तो उठा सकता है, लेकिन दूसरा नहीं। सामान्यतः प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट, दुर्व्यपदेशन या भूल के अधीन की गई संविदायें शून्यकरणीय होती हैं। उदाहरणार्थ - अ प्रपीड़न अथवा कपट द्वारा ब को अ के साथ संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करता है। अ ऐसी संविदा का अनुपालन करने के लिए आबद्ध है, लेकिन ब नहीं। ब अपने विकल्प पर उसका परिवर्तन रोक सकता है।

(8) अवैध संविदा (Illegal contract) — जब किसी संविदा का उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध होता है तो उसे अवैध संविदा कहा जाता है। प्रत्येक अवैध संविदा शून्य संविदा होती है। इसलिए इसका परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। ऐसा उद्देश्य जो-

(1) विधि द्वारा निषिद्ध हो;
(2) अनैतिक हो; (3) लोकनीति के विरुद्ध हो, (4) कपटपूर्ण हो (5) किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या सम्पत्ति को क्षतिकारित करने वाला हो, ऐसी संविदायें अवैध होती हैं।

(9) निष्पादित संविदा (Executed contract) — प्रत्येक संविदा का मुख्य उद्देश्य संविदा का पालन या प्रतिज्ञा का पालन करना होता है, जिसके लिए पक्षकार बाध्य होते हैं। यदि किसी संविदा के अन्तर्गत प्रतिज्ञाओं का पूर्णतया पालन कर दिया गया है तो उसे निष्पादित संविदा कहते हैं।

Scanned with CamScanner

P4 R.M.M. Law College - Saharsa.
Manvendra Mandal Subject - Contract - I
part-time Lecturer part — 1

Kinds of Contract

(10) निष्पाद्य संविदा (Executory Contract) - जो संविदा पूर्णतया पालित नहीं की गई है या पक्षकारों द्वारा कुछ कार्य किया जाना शेष रह गया है और जिसका पालन भविष्य में किया जाना है, उसे निष्पाद्य संविदा (Executory Contract) कहते हैं। जैसे अ ब को इस शर्त पर 500 रु० देने की प्रतिज्ञा करता है, यदि ब उसे अमुक तिथि जाति 15 जून तक एक अच्छी घड़ी देता है। इसे निष्पाद्य संविदा कहते हैं।

(11) एकपक्षीय या द्विपक्षीय संविदा (Unilateral and Bi-lateral Contract) - एक पक्षीय संविदा वह है जिसमें प्रतिफल निष्पादित रहता है तथा द्विपक्षीय संविदा वह है जिसमें प्रतिफल निष्पाद्य रहता है।

(12) समाश्रित संविदा (Contingent Contract) - संविदा अधिनियम की धारा 31 के अनुसार - "समाश्रित संविदा किसी घटना के घटने या न घटने पर किसी कार्य को करने या करने से प्रविरत (अलग) रहने की संविदा है। जैसे - क ख से संविदा करता है कि यदि ख का गृह जल गया तो वह ख को 5000/ पाँच हजार रुपये देगा। यह समाश्रित संविदा है। इसकी मुख्य विशेषता इस प्रकार है - यह कुछ करने या न करने की संविदा है।

(13) बाजीयुक्त करार (Wagering Agreement) - बाजीयुक्त संविदा एक ऐसी संविदा है जिसमें भविष्य की किसी अनिश्चित घटना पर विरोधी विचार वाले दो व्यक्ति आपस में यह तय करते हैं कि भविष्य में कोई ऐसी घटना घटने के निश्चय पर एक की जीत एवं दूसरे की हार होगी। हारने वाला जीतने वाले को किसी निश्चित बाजी में रखी हुई कोई अन्य मूल्यवान वस्तु देगा। (धारा-30)
बाजीयुक्त संविदा की परिभाषा को विधिवेत्ता एन्सन ने इस प्रकार परिभाषित किया है - " किसी अनिश्चित

Kinds of Contract
(संविदा के प्रकार)

घटना के निश्चित होने पर धन या मूल्यवान वस्तु देने की प्रतिज्ञा को बाजी लगाना कहते है।"

(14) संविदा कल्प (Quasi Contract) → यह एक ऐसी संविदा होती है जिसमे विधि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के आधार पर किसी व्यक्ति पर उसी प्रकार का दायित्व अधिरोपित करती है, जैसा कि किसी संविदा के द्वारा किया जाता है।

(15) कानूनी संविदा - इसका तात्पर्य किसी ऐसी संविदा से है जिसकी अन्तःवस्तु कुछ सीमा तक या तो अधिनियम द्वारा या नियमों द्वारा भरी जाती है। उदाहरणार्थ - विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 की धारा 43क (2) द्वारा उर्जा प्राप्त करने में परिदाय का मूल्य तय करने का तरीका संविदा द्वारा तय हो जाती है।

Scanned with CamScanner